बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S Maa Shanti Construction (Regd. No-1210353), Vill-Sri Ram Bigha, PO+PS-Gurua, Dist-Gaya, Pin-824205 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10249 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 09.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

24/10/2025

आदेश

संवेदक M/S Maa Shanti Construction, Vill-Sri Ram Bigha, PO+PS-Gurua, Dist-Gaya, Pin-824205 की ओर से रौशन कुमार उपस्थित।

प्रस्तुत मामला स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, गया के अधीन गरूआ प्रखंड अंतर्गत बरमा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु निविदा(NIT No-01/SBD/2023-24) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक M/S Maa Shanti Construction के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10249 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:–

1. प्रश्नगत निविदा में संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्वी प्रमंडल, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।
2. उक्त निविदा के तकनीकी निष्पादन में सभी कागजातों की जांच कराकर तकनीकी बीड में संवेदक को सफल घोषित किया गया।
3. तकनीकी बीड में सफल घोषित किये जाने के उपरांत संवेदक को वितीय बीड में L1 घोषित करते हुए पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य आवंटित किया गया।
4. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.03.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.05.2025 है।
5. संवेदक द्वारा उक्त निर्माण कार्य दिनांक 09.03.2025 को पूर्ण करा दिया गया, जिसके विरूद्ध उन्हें पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया है।
6. उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधी पत्र दिनांक 14.01.2025 को प्राप्त होने के उपरांत मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।
7. निविदा में फर्जी कागजात समर्पित करने के कारण संवेदक M/S Maa Shanti Construction को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय सकारण ज्ञापांक 10249 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।
8. उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 09.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में बताया गया है कि उनके यहां कार्यरत कर्मचारी द्वारा विरोधियों के बहकावे में आकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

P.T.O.

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में फर्जी कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया गया परंतु कार्य आवंटित किये जाने के उपरांत प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं किये गये कार्य के विरूद्ध पूर्ण भुगतान भी प्राप्त किया जा चुका है।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक M/S Maa Shanti Construction (Regd. No-1210353) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10249 दिनांक 24.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने की अवधि को घटाकर दिनांक 24.09.2025 से अगले 03(तीन) महीनों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

तद्नुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–102/2025 11280 /पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–102/2025 11280 /पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–102/2025 11280 /पटना, दिनांक– 04/11/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–102/2025 11280 /पटना, दिनांक 04/11/25

निबंधित

प्रतिलिपि– संवेदक M/S Maa Shanti Construction, Vill-Sri Ram Bigha, P.O+P.S-Gurua, Dist- Gaya, Pincode-824205 को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/25
सरकार के संयुक्त सचिव

30